



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1947]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937

No. 1947]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2484(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग की अधिसूचना संख्या का. आ. 1532 (अ), तारीख 14 जून, 2013 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 346.540 कि.मी. से 412.000 कि.मी. (झालावाड़-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु सा.का. नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008, बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, सड़क खण्ड की निचल लम्बाई 59.29 कि.मी. [0.350 कि.मी. की संरचना को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 3.50 कि.मी.] के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर पेल्डशोल्डर्स सहित 2 लेन के सेक्शनों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% के हिसाब से और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 346.540 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 346.540 कि.मी.) से 408.700 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 412.000 कि.मी.) तक और 2.52 कि.मी. की लम्बाई वाले घाट पुनः संरेखन, जिसे बाइपास माना गया है, झालावाड़-राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा सेक्शन के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के 90% के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्;—

## सारणी 1

वाहन की श्रेणी	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा - 12 के झालावाड़ जिले में मेथूं गांव के पास 377.300 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (376.160 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज)	59.29 (नीचे पैरा-3 में उल्लिखित संरचनाओं की 0.350 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, घाट पुनः संरेखन, जिसे 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक की लागतवाले बाइपास के रूप में माना गया है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की कुल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
रारा-12 के झालावाड़ जिले में मेथूं गांव के पास 377.300 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (376.160 कि.मी. डिजाइन चैनेज)	रारा-12 के डूंगड़गांव घाटी बाइपास के विद्यमान चैनेज 363.59 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 363.440 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और विद्यमान चैनेज 366.772 (डिजाइन चैनेज 356.960 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.52	17.52	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% (अर्थात् आधार दरों के 60% का 1.5 गुना)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में	सड़क की लम्बाई कि.मी. में	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-12 के झालावाड़ जिले में मेथूं गांव के पास 377.300 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (376.160 कि.मी. डिजाइन चैनेज)	0.066 कि.मी.	0.660	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.194 कि.मी.	1.940	
	0.090 कि.मी.	0.900	
	कुल लम्बाई	3.50	

\* 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	*60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना		
	चैनेज कि.मी. में		लम्बाई (कि.मी.)
	से	तक	
1	354.767	354.833	0.066
2	375.400	375.594	0.194
3	402.645	402.745	0.090
	कुल		0.350

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015-16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय के समय से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर पर आधारित, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 221.40 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्ययन है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ काटने आदि के कार्यकलाप अभी पूरी किए जाने बाकी हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग-से सूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/780/सीओ/14-15/जीसी/झालावाड़-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2015

**S.O. 2484(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1532 (E) dated 14<sup>th</sup> June, 2013 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 346.540 to km. 412.000 (Jhalawar -Rajasthan/Madhya Pradesh Border Section) of National Highway No. 12 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5<sup>th</sup> December, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12<sup>th</sup> October, 2011 and G.S.R 778 (E) dated 16<sup>th</sup> December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16<sup>th</sup> January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21<sup>st</sup> November, 2014 and G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 59.29 km. {excluding 0.350 Km. of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 3.50 km. (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the Two lanning with paved shoulders sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and Ghat re-alignment considered as bypass having a length of 2.52 Km. at 90% of the base rates specified in column(2) of Table-1 below for the use of Jhalawar-Rajasthan/Madhya Pradesh Border section from km. 346.540 (Existing Ch. Km. 346.540) to km. 408.700 (Existing Ch. Km. 412.000) of National Highway number 12 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**TABLE 1**

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 377.300, existing chainage (at km. 376.160, design chainage) near village Methoon in Jhalawar district of NH-12	59.29 (Excluding 0.350 Km. length of structures indicated in Para-3 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the Ghat re-alignment considered as bypass costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza for net bypass length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	

At km. 377.300, existing chainage (km. 376.160, design chainage) near village Methoon in Jhalawar district of NH-12	Doongargaon Ghati Bypass taking off at existing chainage km. 363.59 (Design Chainage km. 363.440) and merging at existing chainage 366.772 (Design Chainage km. 365.960) of NH-12.	2.52	17.52	90% of the base rates ((i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above
---	--	------	-------	---

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At km 377.300, existing chainage (km. 376.160, design chainage) near village Methoon in Jhalawar district of NH-12	0.066 Km.	0.660	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.194 Km.	1.940	
	0.090 Km.	0.900	
	Total length	3.50	

\*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (Km.)
	From	To	
1	354.767	354.833	0.066
2	375.400	375.594	0.194
3	402.645	402.745	0.090
Total			0.350

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 221.40 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/14-15/GC/Jhalawar – Rajasthan/MP Border Section]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.